मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक डी/238/76/नि-1/चार   भोपाल, दिनांक 3-3-76

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त, विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:- मूलभूत नियम ५६(३) के अंतर्गत शासकीय सेवकों की सेवा निवृत्ति।

ज्ञापन

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, १९७५ द्वारा फण्डामेण्टल रूल्स के रूल ५६ के खण्ड (३) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

"(३) (क) किसी शासकीय सेवक को, उसकी ५५ वर्ष की आयु हो चुकने के पश्चात किसी भी समय, बिना कोई कारण बतलाए, उसे लिखित सूचना देकर, लोकहित में सेवा निवृत्त किया जा सकेगा,

(ख) ऐसी सूचना की कालावधि तीन मास की होगी,

परन्तु ऐसे शासकीय सेवक को तत्काल सेवा निवृत्त किया जा सकेगा और इस प्रकार सेवा निवृत्त किया जाने पर वह शासकीय सेवक यथास्थिति सूचना की कालावधि के लिये अपने वेतन तथा भत्तों को, या उतनी कालावधि के लिये, जितनी से कि ऐसी सूचना ३ मास से कम की होती हो, अपने वेतन तथा भत्तों को, जो कि उन्हीं दरों से संगणित किये जायेंगे जिन पर कि वह अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व अपना वेतन तथा भत्ते प्राप्त कर रहा था, रकम के समतुल्य राशि का दावा करने का हकदार होगा।"

इस संबंध में एक प्रश्न उठाया गया है कि ५५ वर्ष की आयु हो चुकने पर जिस शासकीय सेवक को लोकहित में बिना लिखित सूचना के तत्काल सेवा निवृत्त

:-२:

किया जाता है उसे सूचना की कालावधि के लिये नियमानुसार वेतनतथा भत्ते उसके मांग करने पर वितरित किया जाय अथवा उक्त राशि के वितरण की कार्यवाही बिना मांग के ही किया जाना चाहिए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि कि ऐसे प्रकरणों में शासन की यही मंशा है संबंधित शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति के तुरन्त पश्चात् सूचना की कालावधि के लिये देय राशि वितरित किया जाये। इस राशि के वितरण के लिए शासकीय सेवक द्वारा मांग करने की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(ना० रा० द्विवेदी)
उप सचिव

क्रमांक डी 839/76/नि-1/चार   भोपाल, दिनांक 8-3-76

प्रतिलिपि:-

सचिव। सैनिक सचिव, राज्पाल महोदय,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर,
नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल,
राज्य सतर्कता आयुक्त, म०प्र०, भोपाल।
अवर सचिव (स्थापना), अवर सचिव (अधीक्षण), लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल,
समस्त वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी। कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन के लिये अग्रेषित।

२- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

३- सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

४- निबंधक उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

(शं० मु० पलतुरे)
अवर सचिव

नागपुरी ४-२